

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०-१/पी०सी०आर०(विविध)०७-६०-०१/२०१२-

२०

प्रेषक,

रवि परमार
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

संबंधित जिला पदाधिकारी ।

पटना, दिनांक - 16.7.12

विषय:- वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में गैरयोजनान्तर्गत अन्तर्गत अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-१९८९, नियम-१९९५ एवं (संशोधित) नियम-२०११ के आलोक में अनु० जाति के व्यक्तियों को अत्याचार से राहत अनुदान हेतु कुल ₹५०,००,०००/- (पचास लाख) मात्र का आवंटन ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में गैरयोजनान्तर्गत अन्तर्गत अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-१९८९ नियम-१९९५ एवं (संशोधन) नियम-२०११ के प्रावधानों के तहत अनु०जाति के व्यक्तियों को अत्याचार से राहत अनुदान हेतु कुल ₹ ५०,००,०००/- (पचास लाख) मात्र की स्वीकृति पत्रांक-१६ दिनांक-१३/०७/२०१२ द्वारा प्रदान की है। उक्त स्वीकृति के आलोक में संलग्न विवरणी के अनुसार कुल ₹५०,००,०००/- (पचास लाख) मात्र आवंटित की जाती है ।

२. कुल भारित व्यय की राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष २०१२-१३ में गैरयोजना आय-व्यय शीर्ष "२२२५-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-०१-अनुसूचित जातियों का कल्याण-२७७-शिक्षा-मांग सं०-४४-००११-छात्रवृत्तियाँ और वृत्तियाँ-३४०१-छात्रवृत्ति/वजीफा-विपत्र कोड सं० N २२२५०१२७७००११ के अन्तर्गत विकलनीय है।


३- संलग्न विवरणी के अनुसार इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे, जो निकासी की गई राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह विभाग को भेजेंगे। वे अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-१९८९, नियम-१९९५ एवं (संशोधन) नियम-२०११ के धाराओं और नियमों के प्रावधानों के तहत अनु० जाति के पीडित व्यक्तियों को अत्याचार से राहत अनुदान की राशि संशोधित दर, जो दिनांक-२३-१२-२०११ से प्रभावी है, पर अनुसूची और उपबन्ध-१ [नियम-१२(४)] में राहत राशि के लिए मापदण्ड के साथ-साथ नियम-१२(४)(२१) में मुख्य रूप से हत्या, मृत्यु, नरसंहार, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, स्थायी असमर्थता और डकैती के मामलों में पीडितों को भुगतान की जाने वाली राहत राशि के अतिरिक्त अत्याचार की तिथि से मृतक की प्रत्येक विधवा और/या अन्य आश्रितों को ₹३०००/- (तीन हजार) प्रति मास की दर से भुगतान करेंगे।

राशि की स्वीकृति के तुरंत बाद ही जिला पदाधिकारी द्वारा अत्याचार राहत हेतु प्रदान की गई वित्तीय सहायता और फौजदारी मुकदमा के संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना सरकार के पास विस्तारपूर्वक अपने मन्तव्य के साथ भेजेंगे। साथ ही उक्त प्रतिवेदन की एक प्रति प्रधान सचिव गृह विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

४- आवंटित राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-२५६१ दिनांक-१७.४.९८ तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा ।

५- आवंटित राशि गैरयोजना उद्व्यय एव बजट उपबन्ध के अन्तर्गत है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(रवि परमार) 15/7/12
सरकार के सचिव।

संज्ञय

ज्ञापांक-1/पी0सी0आर0(विविध)07-60-01/2012- 20 पटना, दिनांक 16.7.12
प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग/
पुलिस महानिरीक्षक (क0व0) अपराध अनुसंधान विभाग बिहार/संबंधित उप विकास आयुक्त/निदेशक,
अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/सांख्यिकी कोषांग,
अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ज्ञापांक-1/पी0सी0आर0(विविध)07-60-01/2012- 20 पटना, दिनांक 16.7.12
प्रतिलिपि : सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव

सरकार के सचिव

विवरणी-

वित्तीय वर्ष 2012-13 में गैरयोजनान्तर्गत अनु0जाति के व्यक्तियों को अत्याचार राहत अनुदान हेतु आवंटित राशि की विवरणी ।

(राशि ₹ में)

क्रमांक	जिला का नाम	अत्याचार राहत अनुदान हेतु आवंटित राशि
1	पटना	900000
2	भागलपुर	500000
3	खगडिया	75000
4	सारण	800000
5	गया	400000
5	सिवान	400000
7	प0 चम्पारण	400000
8	अररिया	500000
9	वैशाली	300000
10	शेखपुरा	125000
11	समस्तीपुर	150000
12	भोजपुर	450000
	कुल योग	5000000

(₹पचास लाख) मात्र ।

पत्रांक- 20 दिनांक- 16.7.12 का अनुलग्नक ।

alloatment-atrocity -nonplan-12-13

संज्ञ

सरकार के सचिव